



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क जयपुर नगर निगम

क्रमांक: एफ.9 () आ.फा. / ज.न.नि. / 16-17 / 201

दिनांक 3/5/17

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:- अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति की अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल खसरा सं 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 और 529 ग्राम नीदड तह0 आमेर सीकर रोड जयपुर द ग्रीन त्रिवेणी में निर्मित होने वाले भवन की पूर्व में इस विभाग के पत्रांक एफ 9 () आ.फा./न.नि. ज/14/221 दिनांक 30.04.2014 को तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई फायर अभिषंशा जारी की गई थी। अब आपके द्वारा पुनः इस विभाग में आवेदन कर आवेदित स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन की अस्थाई अभिषंशा पत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया है। जिसके सम्बन्ध में स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण किया गया जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है।

अतः खसरा सं 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 और 529 ग्राम नीदड तह0 आमेर सीकर रोड जयपुर द ग्रीन त्रिवेणी जयपुर में निर्मित होने वाले भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति की अवधि दो वर्ष के लिये बढ़ाई जाति है व अन्य समस्त शर्तें पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी फायर अनापत्ति क्रमांक एफ.9 () आ.फा./ज.न. नि/14/221 दिनांक 30.04.2014 के अनुसार ही मान्य होगी।

— 92 —
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि

1. श्री इन्द्राज सिंह अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द ग्रीन त्रिवेणी डवलपर्स गॉव नीदड तह0 आमेर सीकर रोड जयपुर।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर
मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9(2 & 3)आ.फा./न.नि.ज/14/22/ दिनांक:- 30/4/14 -

✓ प्रेषित:- श्री मयंक राज मोदी,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
दा ग्रीन त्रिवेणी डवलपर्स,
306 ओर 307, सीटी पर्स,
होटल गणगौर के सामने,
खासा कोठी सर्किल एम.आई रोड जयपुर।

विषय:- खसरा नः 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 और 529 ग्राम नीदड त0 आमेर
सीकर रोड जयपुर द ग्रीन त्रिवेणी में निर्मित किये जाने वाले भवनों की अस्थाई
फायर अनापत्ति जारी करने बाबत।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2014 के सदर्थ मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 10.03.2014 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरिक्षण किया गया अतः आवेदक श्री मयंक राज मोदी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, खसरा नः 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 और 529 ग्राम नीदड त0 आमेर सीकर रोड जयपुर द ग्रीन त्रिवेणी में उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्सटीनग्युसर, एम.सी.पी मय हुटर, फायर डिडेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को स्टील्ट, ग्राउण्ड, प्रथम से ग्यारह मजिल व टैरस, ई डब्लु एस तक स्टील्ट+ 35.40 मीटर की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दशाई गई मान्य होगी नियमानुसार रिफ्यूजी क्षेत्र छोड़ना होगा।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारो तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनिमय 2010 के अनुरूप न्यूनतम 18

- फुट खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिये स्वचालित आग चैतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
 7. अस्थाई अग्निशमन अभिषां के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 9. भवन में धुआँ निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
 10. आवेदक को फायर अनापत्ति शुल्क या अन्य कोई बकाया निकलता है तो जमा करवाना होगा।
 11. जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 की पालना अनिवार्य होगा।
 12. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष तक के लिये मान्य होगी अनापत्ति अवधि समाप्ति पूर्व भवन में उपरोक्त वर्णित समस्त व्यवस्था कर आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी अगर तीन वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण कर अनापत्ति अवधि बढ़वानी होगी व अस्थाई अनापत्ति अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात जमा अमानता राशि जप्त की जा सकेगी व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा व आवेदक का जमा अमानता शुल्क जप्त किया जा सकेगा।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर